

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता (वि०/या०) के द्वारा अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्र।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप - 2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री शिव कुमार	सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)	अस्थाई वि०/याँ० खण्ड लो०नि०वि० गोपेश्वर	मुजफ्फरनगर / खतौली	1. वि०/याँ० खण्ड लो०नि०वि० देहरादून 2. वि०/याँ० खण्ड लो०नि०वि० ऋषिकेश 3. 11वां वि०/याँ० वृत्त लो०नि०वि० देहरादून	धारा के नाम के आगे ✓ लगाए ☒ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	माताजी अति वृद्ध होने के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है। अचानक स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में उन्हें तुरन्त आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करानी पड़ती है। घर पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति न होने के कारण उनकी देखभाल एवं तुरन्त उपचार कराने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप मेरा स्थानान्तरण ऐच्छिक खण्डों में करने की कृपा करें। जिससे मैं राजकीय कार्यों के साथ-साथ पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी कर सकूँ। साथ ही मैं दुर्गम से सुगम हेतु स्थानान्तरण का पात्र भी हूँ।

नोट :- कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के सबंध में संक्षम स्तर से निम्न प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :- शिव कुमार

पदनाम :- सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम :- पंकज खर्वा

पदनाम :- अधिशाली अभियन्ता
अ. वि. याँ. खण्ड. लो. नि. वि.
गोपेश्वर (खतौली)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप - 2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हरेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)	अस्थाई वि०/याँ० खण्ड लो०नि०वि० गोपेश्वर	रुद्रप्रयाग / रुद्रप्रयाग	1. वि०/याँ० खण्ड ऋषिकेश 2. वि०/याँ० खण्ड देहरादून	☒ धारा के नाम के आगे ✓ लगाए ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☒ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण संलग्न प्रमाण पत्र	प्रार्थी द्वारा वर्तमान कार्यालय (दुर्गम) में 9 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर ली गई है। प्रार्थी की पत्नी उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में जनपद पौड़ी में कार्यरत है। जिस कारण प्रार्थी को अपनी 2.5 वर्षीय पुत्री की देखभाल करने में कठिनाई हो रही है। अतः उक्त की धारा 13(3) एवं धारा 17(1)(ख)(चार) के अनुसार प्रार्थी को अपनी पत्नी के कार्यक्षेत्र के निकटतम कार्यक्षेत्र वि०/याँ० खण्ड ऋषिकेश में स्थानान्तरण करने की कृपा कीजिएगा।

नोट :- कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :-

पदनाम :-

Harender Singh

हरेन्द्र सिंह
सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम :-

पदनाम :-

Ishtuwal

पंकज बत्त

अविभाज्य अभियन्ता

अस्थाई वि०/याँ० खण्ड

लो०नि०वि०

गोपेश्वर-चमोली

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि श्रीमती अंजली पत्नी श्री हरेन्द्र सिंह वर्तमान में पंचायती राज विभाग में कार्यालय जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर विकासखण्ड पौड़ी में कार्यरत है।


खण्ड विकास अधिकारी/2523
पौड़ी (गढ़वाल)

Self-Attested
Haulh

17012 (29) (5)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गो.विन्द सिंह मेहरा	सहायक अभियन्ता वि.या	वि.याँ खण्ड लो.नि.वि. पिथौरागढ़	बागेश्वर	वि.याँ खण्ड लो.नि. वि० बाजपुर वि.याँ खण्ड लो.नि. वि. भीमताल	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☒ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 4/5/20

नाम- गो.विन्द सिंह मेहरा

पदनाम- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-

पदनाम-

अधिसूचना अभियन्ता
विद्युत/यांत्रिक खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

17(1)(ख) (8)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोविन्द कुमार (कर्मचारी आई) (42270213401335)	सहायक अभियन्ता (वि० प्र०)	वि० प्र० खण्ड लौ० प्र० वि० पि० प्र०	हरिद्वार	महापिकेट बैलगावून बाजपुर गोपैवर	☒ धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☒ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण अनुयाय के आधार अनुयाय के आधार अनुयाय के आधार पर दृष्टि से दुर्गम	

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तनी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) *Gauri*

नाम- गोविन्द कुमार
पदनाम- सहायक अभियन्ता (वि० प्र०)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- *NK*
पदनाम- अभियन्ता अभियन्ता
विद्युत/यांत्रिक खण्ड

Q

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मंगवान सिंह	सहायक अभियन्ता (वि.याँ)	11 वाँ वि.याँ	दिहरी	वि.याँ 2005 कृषिकेश मु०-उबरकाशी	धारा के नाम के आगे ✓ लगायें ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☒ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	विगत 64.5 मी. 24 मी. के तलमाल कार्यालय में कार्य रत है एवं सुगम क्षेत्र में 134 10 M 8 day का समय हो गया

नोट :- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :- मंगवान सिंह

पदनाम :- सहायक अभियन्ता (वि.याँ)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम :- अधीक्षक अभियन्ता

पदनाम :- 11 वाँ वि०/या० वृत्त लो० नि० वि०

मोहर

20-24

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	9
1	दिनेश कुमार	सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०)	वि०/यौ० खण्ड, लो०नि०वि, भीमताल	हरिद्वार	वि०/यौ० खण्ड, लो०नि०वि, ऋषिकेश	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-13(3) के अनुसार	अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति पत्नी (स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-13(3) के अनुसार)
2					वि०/यौ० खण्ड, लो०नि०वि, देहरादून		

नोट :- कॉमल संख्या- 07 दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्यक्षेत्र)

नाम :- दिनेश कुमार

पदनाम :- सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०)

9/2

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम :- श्री हरिशंकर शुक्ला

पदनाम :- अधिशासी अभियन्ता